न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 55/2023

विनोद कुमार पुत्र श्री रामजीलाल सैनी, रेल्वे स्टेशन की ढाणी, अडूका तन चिडावा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333026

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 10.04.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 17.03.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 55/2023 पर दिनांक 17.03.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2023/1105—06 दिनांक 17.03.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ ने पत्रांक आरटीआई/2023/36 दिनांक 06.04.2023 द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.02.2023 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसकी सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2023/28 दिनांक 02.03.2023 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक को चाही गई सूचनायें आवेदक को समय पर एवं सही भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ द्वारा पत्रांक आरटीआई/2023/36 दिनांक 06.04.2023 द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.02.2023 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसकी सूचना आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2023/28 दिनांक 02.03.2023 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक को चाही गई सूचनायें आवेदक को समय पर एवं सही भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित सम[illegible] कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 10.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:13:49 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनू